भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1158

उत्तर देने की तारीख-10/12/2025

एचईआई में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण

1158 **श्री जावेद अली खान:**

श्री रामजी लाल सुमन:

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभाग-संबंधित शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपने 370वें प्रतिवेदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडबल्यूएस) के लिए आरक्षण के प्रावधान की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार समिति की सिफारिशों के अनुसार निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अनुच्छेद 15(5) और आरक्षण नीति को लागू करने के लिए चालू सत्र के दौरान कोई कानून लाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): विभाग-संबंधित शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 370वीं रिपोर्ट में भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईड्ब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के प्रावधान करने की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट

https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/198/370_2025_8_12.pdf?source=rajyasabha

पर उपलब्ध है।

केंद्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एचईआई) में आरक्षण लागू करने के लिए, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के प्रवेश में आरक्षण हेतु केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार, 17 जनवरी 2019 को उच्चतर शिक्षा विभाग ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें 85.88% छात्र राज्य के सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित हैं [स्रोत: अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) - अनंतिम - 2022-23]। राज्य (सार्वजनिक/निजी) विश्वविद्यालय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित अधिनियमों के तहत स्थापित हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित अधिनियमों, संविधियों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों के अनुसार शासित होते हैं। इस प्रकार यह राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने द्वारा स्थापित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधायी प्रावधान करें। कुछ राज्यों ने राज्य निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाए हैं जैसे महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2023; का कर्नाटक अधिनियम 2023 की संख्या 15; उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019; बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013; अरुणाचल प्रदेश का शीर्ष व्यावसायिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022।

एआईएसएचई के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2022-23 (अनंतिम) तक नामांकन प्रतिशत में 30.6% की वृद्धि हुई है, जिसमें एससी के लिए 50.1%, एसटी के लिए 75% और ओबीसी के लिए 54.6% है।

****